



कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर कार्यालय टिप्पणी

डांगियों की पंचोली, उमरड़ा, अटल एनक्लेव (TCIL) आवासीय योजनाओं की लॉटरी दिनांक 29.10.2020 में पात्र 1011 सफल आवेदको को (आंवटन पत्र) ऑन-लाइन जारी करने की प्रक्रिया:-

1. गुगल पले स्टोर पर **UIT Udaipur** एप डाउनलोड करे ।
2. एप पर लॉगिन हेतु
 - आधार कार्ड नम्बर
 - मोबाईल नम्बर प्रविष्टी के पश्चात
3. रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ टी पी आयेगा । ओ टी पी की प्रविष्टी के पश्चात एप लॉगिन होगा ।
4. आवेदक को एप के मेन्यु ऑप्शन में जाकर (आंवटन हेतु आवेदन) **(Application For Allotment)** पर किल्क करना होगा ।
5. अपनी कैटगरी का चुनाव करे ।
 - जनरल
 - एस टी
 - एस सी
 - विकलांग
 - ओ बी सी
 - एक्स सर्विसमैन
 - राजकीय कर्मचारी
 - अन्य
6. लिंग
 - पुरुष
 - महिला
 - अन्य
7. वैवाहिक स्थिति:-
 - विवाहित
 - विवाहित
 - तलाकशुदा
 - विधवा/विधुर

8. परिवार के सदस्यों का आधार विवरण दर्ज करे ।

क्र. स.	नाम	सम्बन्ध	आधार कार्ड नम्बर	अपलोड
1	सुरज	स्वयं	*****12345	अपलोड
2	गीता	पत्नी	*****12345	अपलोड
3	खुशी	पुत्री	*****52254	अपलोड
4	मुकूल	पुत्र	*****65142	अपलोड
5	भान सिंह	पिता	*****51254	अपलोड
6	दुर्गा देवी	माता	*****45145	अपलोड

9. निम्न विकल्पों में से आप से सम्बन्धित विकल्प का चुनाव करे एवं चुनाव किये गये विकल्पों के दस्तावेज अपलोड करे ।

- वोटर आई डी नम्बर अपलोड
- राशन कार्ड नम्बर अपलोड
- पैन कार्ड नम्बर अपलोड
- लाईसेन्स नम्बर अपलोड
- मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड
- पासपोर्ट अपलोड
- जाती प्रमाण पत्र अपलोड
- बैंक विवरण (पासबुक का प्रथम पृष्ठ,चैक,बैंक स्टेटमेन्ट) अपलोड

नाम बैंक मे बैंक का नाम खाता संख्या शाखा IFSC Code

- आय प्रमाण पत्र (अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी) अपलोड
- एक्स सर्विसमैन प्रमाण पत्र अपलोड
- राजकीय कर्मचारी का प्रमाण पत्र अपलोड
- आय प्रमाण पत्र (अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी) अपलोड
- विकलांगता का प्रमाण पत्र अपलोड
- अन्य दस्तावेज अपलोड



कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर कार्यालय टिप्पणी

शपथ-पत्र

➤ मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि –

1. मेरे पास स्वयं या पति/पत्नी के नाम से राजस्थान के किसी भी शहरी क्षेत्र में जिसकी आवासीय आबादी 1,00,000 या इससे अधिक है, में राजस्थान आवासन मण्डल, नगरपालिका, नगर विकास न्यास एवं निकाय द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।
2. मुझ पर आश्रित किसी वयस्क अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री दत्तक पुत्र/पुत्री के नाम राजस्थान आवासन मण्डल, नगर पालिका, नगर विकास न्यास एवं निकाय द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।
3. मुझे मेरे पति/पत्नी या मुझ पर आश्रित वयस्क, अवयस्क, पुत्र/पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री का स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम/नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवासीय भूखण्ड लीज, होल्ड/फ्री होल्ड पर आवंटित नहीं हुआ है।
4. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा निकाली गई ई-लॉटरी में योजना के किसी भी तल पर जो फ्लेट् मुझे आवंटित हुआ है, वह मुझे स्वीकार्य है।
5. मेरे द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गई समस्त शर्तों का पालन किया जावेगा।
6. मुझे लॉटरी में फ्लेट् आवंटित होने पर विभिन्न चरणों में देय निर्धारित राशि मेरे द्वारा नियत समय पर आवश्यक रूप से नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के निर्धारित खाते में जमा कराई जायेगी।
7. मेरे द्वारा यदि बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध मेरे फ्लेट् का प्रोविजनल/मूल आवंटन पत्र/कब्जा पत्र बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, तो उससे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।



कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर कार्यालय टिप्पणी

8. मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे बैंक ऋण की किश्त मेरे द्वारा कुल अर्जित वार्षिक आय की 30 से 40 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी एवं मेरे द्वारा समस्त राशि की समय पर व्यवस्था कर ली जायेगी।
9. मैं स्वीकार करता हूं कि चूंकि प्रस्तावित आवासीय योजना चयनित भूमि पर, राज्य सरकार एवं नगर विकास प्रन्यास की मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सस्ती दरों में फ्लैट आवंटित किया गया है, जिसके लिए नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की समस्त शर्तें मुझे स्वीकार होगी।
10. आवंटन पत्र योजना की गाईड लाइन की समस्त नियम एवं शर्तें मुझे मान्य होगी तथा समस्त दस्तावेज आवंटन की तिथि से 30 दिवस में न्यास में जमा कराने की जिम्मेदारी आवेदक होगी।
11. योजना के गाइडलाइन के अनुसार पति/पत्नि के संयुक्त नाम से आवंटन पत्र जारी किये जाने में मुझ शपथग्रहिता को कोई आपत्ति नहीं है।
12. योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली केन्द्रिय अनुदान राशि (सब्सिडी) हेतु मुझ शपथग्रहिता द्वारा सलग्न किये गये सभी दस्तावेज सत्य एवं सही है।
13. आवंटी आवंटीत फ्लैट का 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं कर सकेगा।
14. किश्त अदायगी में व्यक्तिक्रम (default) करने पर न्यास को आवंटन निरस्त कर किसी अन्य को आवंटित करने का अधिकार होगा।
15. यदि 10 वर्ष की अवधि पूर्व विक्रय करना पाया जाता है तो आवंटन निरस्त कर अन्य पात्र आवंटी को आवंटन करने का न्यास को अधिकार होगा।
16. आवंटी की मृत्यु होने पर 10 वर्ष पूर्व भी नामित व्यक्ति को आवंटीत फ्लैट का हस्तांतरण किया जा सकेगा।



कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर कार्यालय टिप्पणी

सत्यापन

मैं.....
उपरोक्त यह शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र में अंकित उक्त समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान, विश्वास व जानकारी से सही है इसमें मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है और न ही कोई तथ्य गलत अंकित है। किसी तथ्य के गलत पाये जाने पर आवंटन की दशा में आवंटन एवं आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

- अपनी सहमती दर्ज कर सबमिट करे ।

टिप्पणी :-

- आवंटन के लिए किये गए आवेदन की स्थिति जानने के लिए मोबाईल के मेन्यु ऑप्शन में "आवेदन की स्थिति" (Application For Allotment) जाकर जानी जा सकती है।

यू.आई.टी मोबाईल एप इंस्टाल करने हेतु लिंक:-

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uitudaipur>



कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर कार्यालय टिप्पणी

- आवेदन के पश्चात आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों की जाँच हेतु कार्यालय से जाँच अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे ।
- जाँच हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा साफ्टवेयर में लॉगिन करना होगा ।
- आवेदक के द्वारा संलग्न दस्तावेजों को नगर विकास प्रन्यास के अधिकृत अधिकारी द्वारा जाँच कर सुनिश्चित किया जावेगा की आवेदक द्वारा वांछित दस्तावेज अपलोड किये गये हैं ।
- जाँच कर्ता अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवंटी द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा यदि कोई दस्तावेज अपलोड नहीं है तो पुनः आवंटी को आवेदन ऑन-लाईन लौटाया जायेगा ।
- वोटर आई डी नम्बर अपलोडेड जाँचकर्ता
- राशन कार्ड नम्बर अपलोडेड जाँचकर्ता
- पैन कार्ड नम्बर अपलोडेड जाँचकर्ता
- लाईसेन्स नम्बर अपलोडेड जाँचकर्ता
- मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोडेड जाँचकर्ता
- पासपोर्ट अपलोड जाँचकर्ता
- जाती प्रमाण पत्र अपलोडेड जाँचकर्ता
- बैंक विवरण (पासबुक का,चैक,
बैंक स्टेटमेन्ट) अपलोडेड जाँचकर्ता
- (नाम बैंक में) (बैंक का नाम) (खाता संख्या) (शाखा) (IFSC Code)
- आय प्रमाण पत्र अपलोडेड जाँचकर्ता
- (अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी) अपलोडेड जाँचकर्ता
- एक्स सर्विसमैन प्रमाण पत्र अपलोडेड जाँचकर्ता
- विकलांगता का प्रमाण पत्र अपलोडेड जाँचकर्ता
- राजकीय कर्मचारी का प्रमाण पत्र अपलोडेड जाँचकर्ता
- अन्य दस्तावेज अपलोडेड जाँचकर्ता



कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर कार्यालय टिप्पणी

- आवेदक द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेज सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा जाँच के बाद प्रभारी अधिकारी को अग्रेषित किया जावेगा ।
- प्रभारी अधिकारी द्वारा आंवटन पत्र जाँच कर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया जावेगा ।
- आंवटी को एप में दिये गए बैल आईकन एवं मोबाईल संदेश के माध्यम से सूचना प्रदान की जायेगी ।
- आवेदक द्वारा मेन्यु ऑप्शन में जाकर डाउनलोड बटन द्वारा अपना आंवटन पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा ।

Your Application No-*****
Has Been Submitted
Sucessfully and Check
Status of Your Application

Applicant
Photo

डांगियों की पंचोली, उमरड़ा, अटल एनक्लेव (TCIL) योजनाओं में मोबाईल एप द्वारा ऑनलाइन आंवटन के लिए आवेदन करने हेतु UIT की वेब-साईट पर दिए गये लिंक पर क्लिक कर निर्देशानुसार आवेदन करे ।